न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 230/2023

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. सुखजीत कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री प्रिंस मिढ़ा, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 9.6.2023

वादी गुरविन्द्र सिंह ने प्रतिवादीगण सुखजीत कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता है, वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.465 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसके अलावा वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से दिनांक 18.05.2023 को इसी चक 12 बी.जी.पी. के इसी खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.293 है. कृषि भूमि को दान में दी थी। पंजीकृत दान पत्र चित्रप्रति एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वादी के स्वयं के नाम से 1.465 है. कृषि भूमि एवं वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से दिनांक 18.05.2023 को इसी चक 12 बी.जी.पी. के इसी खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.293 है. कृषि भूमि को दान में दी थी। उक्त खाता विवादित होने के कारण वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामांकन दर्ज नही हुआ। उक्त खाता की समस्त कृषि भूमि वादी को बंटवारा में प्राप्त हो चुकी है। मौका पर वादी मुताबिक बंटवारा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत् प्रतिवादी सं. 1 एवं अन्य किसी के साथ कोई

लगातार --2

9/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल भगतपुरा

विवाद नही है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
186/154	34	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है.,
		2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है.,
		3/1/0.215 है., 3/2/0.038 है.,
		4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,
		5/1/0.190 है., 5/2/0.025 है.,
		5/3/0.038 है.,
188/146	1	17/0.038 है., 25/1/0.177 है.
189/146	2	21/0.253 है.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहरी 1.050 है., गै.मु. रास्ता 0.190 है., गै.मु. खाला 0.025 है., बारानी 0.468 है., कुल 1.733 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वादी स्वयं के नाम से 1.465 है. कृषि भूमि एवं वादी को प्रतिवादी सं. 1 से जरिये पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से दिनांक 18.05.2023 को इसी चक 12 बी.जी.पी. के इसी खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.293 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में हुए बंटवारा में वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा खाता अलग से कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 से वादी को वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लेने तथा उक्त अनुसार घोषणा जारी करवाकर खाता विभाजित करवाकर रकमराज अलग से कायम करवा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 2 ने खाता विवादित होने के कारण ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा चक 12 बी.जी.पी. के इसी खाता सं. 49/85 जमाबन्दी

लगातार --3

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल भगतपुरा

सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.465 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसके अलावा वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से दिनांक 18.05.2023 को इसी चक 12 बी.जी.पी. के इसी खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.293 है. कृषि भूमि को दान में दी थी। तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के इसी खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश की गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
186/154	34	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है.,
		2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है.,
		3/1/0.215 है., 3/2/0.038 है.,
		4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल....भगतपुरा

5/1/0.190 है., 5/2/0.025 है.,

5/3/0.038 है.,

17/0.038 है., 25/1/0.177 है.

188/146 1 21/0.253 है.

189/146 2 गै.मु. रास्ता 0.190 है., गै.मु. खाला 0.025 है., बारानी नहरी 1.050 है., कुल 1.733 है. मय गै.मु. कृषि भूमि 0.468 है.,

मुताबिक बंटवारा वादी को उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/6/2023

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),

शिविर स्थल....

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 230/2023

गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. सुखजीत कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 8.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रिंस मिढ़ा वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

(क) वादी गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का

विवरण :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 49/85 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
186/154	34	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है.,
		2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है.,
		3/1/0.215 है., 3/2/0.038 है.,
		4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,
		5/1/0.190 है., 5/2/0.025 है.,
		5/3/0.038 है.,
188/146	1	17/0.038 है., 25/1/0.177 है.
189/146	2	21/0.253 है.

नहरी 1.050 है., गै.मु. रास्ता 0.190 है., गै.मु. खाला 0.025 है., बारानी 0.468 है., कुल 1.733 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --2

8/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल..भगतपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्तानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बाबत् ....X.... निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ..8/6/2023.. को जारी किया जाता है।

8/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
शिविर स्थल......
संगरिया